आर.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00049

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– पु095/2013 नया 17/2020 (बिरबलसिंह बनाम महावीर वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 18.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, चन्द्र प्रकाश वर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.09.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम रिजाणी पटवार हल्का हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 423 रकबा 0.08 है0 424 रकबा 2.57 है0 खसरा नंबर 530/425 रकबा 2.46 है0, खसरा नंबर 442 रकबा 2.20 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.31 है0 में 2/3 हिस्सा भूमि का दानपत्र शून्य घोषित किया जाकर 2/3 हक हिस्सा में से 1/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी फूली देवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 से 12 के नाम तथा शेष 1/3 हिस्सा भूमि में से 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदारी माली देवी के वारिसान की हैसियत से वादीगण के नाम तथा 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदारी यथावत प्रतिवादी संख्या 1 महावीर प्रसाद के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 18.09.2024 को जारी की गई।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर